**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1436**

**19 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए**

**इस्पात की कीमतों में वृद्धि**

**1436. श्री राघव चड्ढा:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) संयंत्रों द्वारा इस्पात की कीमतों में कितनी बार और कितनी वृद्धि की गई;

(ख) सरकार द्वारा इस्पात की खपत करने वाले उद्योगों को नुकसान का सामना करने और बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा साइकिल निर्माण उद्योग को इस्पात की कीमतों में वृद्धि के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसएसटी) के विकास के लिए उठाए गए कदमों और आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र को नीतिगत सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करके समर्थ वातावरण सृजित करते हुए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। कीमतें माँग और आपूर्ति, वैश्विक बाजार की स्थितियों, अन्य कारकों जैसे कि कच्चे माल की कीमतों के रुझानों, लॉजिस्टिक लागतों, विद्युत और ईंधन की लागतों इत्यादि पर निर्भर होती हैं। इस्पात की कीमतों से संबंधित निर्णय व्यक्तिगत कंपनी द्वारा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर लिए जाते हैं।

(ख) और (ग): इस्पात की खपत साइकिल विनिर्माण उद्योगों सहित विविध उद्योगों द्वारा होती है। सरकार ने हाल की अवधि में उपभोक्ता तथा विनिर्माण उद्योगों हेतु इस्पात तथा संबंधित कच्चे माल को

उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु अनेक अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:-

i. (क) दिनांक 21.05.2022 की सीमाशुल्क की अधिसूचना के तहत कोकिंग कोयला, लौह और इस्पात सहित महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर आयात और निर्यात शुल्कों का अंशांकन।

(ख) वर्तमान स्थिति तथा इस्पात की वैश्विक उपलब्धता और कीमतों के दृष्टिगत, दिनांक 18.11.2022 की सीमाशुल्क की अधिसूचना के तहत उक्त अधिसूचना को वापस लेने की अधिसूचना।

ii. 6322 करोड़ रुपये के परिव्यय से विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना, जिससे इस्पात की खपत वाले उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 25 ग्रेडों/श्रेणियों का उत्पादन करने के लिए डाउनस्ट्रीम क्षमता बढ़ेगी।

iii. वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट के तहत गैर-अलॉय, अलॉय तथा स्टेनलेस स्टील के सेमिज, फ्लैट तथा लॉन्ग उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क में समान रूप से कमी लाकर 7.5% करना।

iv. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना।

v. दिनांक 31.03.2023 तक इस्पात स्क्रैप को मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) से छूट। उसी प्रकार, सीआरजीओ इस्पात के विनिर्माण में उपयोग हेतु कच्चे माल पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) को घटाकर दिनांक 31.03.2023 तक शून्य कर दिया गया है।

vi. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(घ): नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेण्डरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) को पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत फेरस स्क्रैप डेवलपमेंट फंड (एफएसडीएफ) से 0.50 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है। एनआईएसएसटी की प्रयोगशालाएं उद्योग की परीक्षण संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए एनएबीएल प्रत्यायित और बीआईएस प्रमाणित हैं।

****